भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4927

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को साहूकारों के निजी ऋण से सुरक्षा

4927. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के केवल 40 प्रतिशत किसान ही ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तथा शेष किसान निजी साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों से अधिक ब्याज वसूलने वाले निजी साहूकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस), नाबार्ड 2021-22 के अनुसार, केवल संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाले कृषि परिवारों की हिस्सेदारी 2016-17 में 60.5% से बढ़कर 2021-22 में 75.5% हो गई, जबकि केवल गैर-संस्थागत स्रोतों से उधार लेने वालों की हिस्सेदारी इसी अवधि में 30.3% से घटकर 23.4% हो गई। यह औपचारिक ऋण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो इस धारणा का खंडन करता है कि अधिकांश किसान निजी साहूकारों पर निर्भर रहते हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार की कई योजनाएं/कार्यक्रम किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना, संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), एफपीओ को बढ़ावा देना आदि ताकि उन्हें निजी ऋणदाताओं के पास जाने से रोका जा सके।

प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग (पीएसएल) विनियमन के अनुसार, आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कृषि क्षेत्र को समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 18% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीई) के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रदान करेंगे; जिसमें से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक उप सीमा तय की गई है जो वर्तमान में 10% है। यह प्रावधान किसानों को आसान और किफायती कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

*****